

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'छयालीस'

[29/11/2017]

प्रश्न सं. [क. 1435]

परिशिष्ट  
आचार्य पत्र क्रमांक - 1435

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
मंत्रालय- वल्लभ भवन.

क्रमांक एफ 16-6/07/सात/2ए  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 14/09/2008


समस्त कलेक्टर,  
मध्यप्रदेश.

विषय:-गौशालाओं के लिये भूमि आबंटन संबंधी नीति।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड में पंजीयत गौशाला समिति की मांग एवं भूमि की उपलब्धता के आधार पर चरनोई एवं निस्तार की भूमि को छोड़कर एक ग्राम पंचायत में केवल एक गौशाला हेतु न्यूनतम एक और अधिकतम दस एकड़ तक भूमि गौशालाओं के लिये रुपये 1/- (एक रूपया) सांकेतिक शुल्क लेकर निम्न शर्तों के आधार पर अनुज्ञप्ति पर दी जा सकेगी:-

1. चरनोई एवं निस्तार की भूमि को छोड़कर अन्य शासकीय भूमि जिसकी विधि अनुसार मद परिवर्तित की जा सकती है ऐसी भूमि में से जिला गौपालन एवं पशु संवर्धन समिति की अनुशंसा पर कलेक्टर एक ग्राम पंचायत में केवल एक गौशाला समिति को भूमि उपयोग हेतु अनुज्ञप्ति दे सकेगा।
2. ऐसी अनुज्ञप्ति केवल उन्हीं गौशालाओं को दी जा सकेगी जो मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत हों।
3. संस्था के पास गौशाला में पंचायत क्षेत्र के ऐसे गौवंश (गाय, बछड़ा) रखे जावेंगे जिनका कोई स्वामी न हो, अशक्त, बीमार, वृद्ध हों। ऐसे कम से कम 50 गौवंशी पशु उपलब्ध हो।
4. गौवंश के जीवित पशु व मृत पशु से होने वाली आय गौशाला के खाते में जमा होगी और उसका व्यय गौशाला के उन्नयन पर किया जायेगा।
5. गौशाला के संचालन के लिये प्रोजेक्ट रिपोर्ट व संस्था के वित्तीय स्थिति की जानकारी सुनिश्चित की जावे जिससे गौशाला का संचालन सुचारू रूप से हो सके।
6. गौशाला समिति का किसी बैंक में खाता हो तथा नियमित रूप से आडिट किया गया हो और गौशाला समिति के पास अधोसंरचना निर्माण हेतु अपनी पूंजी उपलब्ध हो।
7. भूमि उपयोग हेतु अनुज्ञप्ति पंजीकृत गौशाला के नाम से की जा सकेगी।
8. भूमि का उपयोग केवल गौशाला एवं तत्संबंधी गतिविधियों के लिये ही किया जा सकेगा।
9. अनुज्ञप्ति प्राप्त भूमि को विक्रय, पट्टा, उप पट्टा, बंधक, किराये अन्यथा हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।
10. भूमि की उपयोग अनुज्ञप्ति अस्थाई तौर पर केवल गौशाला के उपयोग मात्र के लिये ही होगी। मूलतः यह भूमि शासकीय सम्पत्ति रहेगी तथा खसरा अभिलेख इत्यादि में भूमिस्वामी के कालम में मध्यप्रदेश शासन गौशाला लिखा रहेगा।
11. अन्य आवश्यक शर्तें जो जिला कलेक्टर उचित समझे अधिरोपित कर सकेगा।
12. गौशाला के संचालन के लिये मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशु संवर्धन 2007 अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों का पालन करना होगा।
13. किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में अनुज्ञप्ति निरस्त की जा सकेगी।
14. गौशाला समिति द्वारा किसी भी शर्त उल्लंघन की स्थिति में उसी समिति को भविष्य में प्रदेश में गौशाला हेतु भूमि उपयोग हेतु अनुज्ञप्ति के लिये विचार में नहीं लिया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(एल.एन.सोनी)  
उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.  
भोपाल, दिनांक 14/09/2008



अवर सचिव

म.प्र. शासन राजस्व विभाग  
मंत्रालय

पृ० क्रमांक एफ 16-6/07/सात/2ए  
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशु पालन विभाग।
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।

  
उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.

Letter to collector